उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 22 चैत्र, शक संवत्, 1927
(दिनांक : 12 अप्रैल, 2005)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी **"क"**)।

2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी **"ख"** तथा **"ग"**)।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनाली के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री विनोद रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

5. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में जाफरपुर-दिनेशपुर मार्ग बाया विजय नगर होते हुए चित्तरंजनपुर नं0 1 तक के मार्ग के पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री देवप्रसाद विश्वास एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर-गदरपुर मार्ग बाया चन्दननगर होते हुए दिनेशपुर-गुलरभोज (खटोला) तक के मार्ग के मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री तारक चन्द्र बाछाड़ एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर-गदरपुर मार्ग बाया पिपलिया होते हुए एन0एच0-74 (महतोष मोड़) तक के मार्ग के पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री प्रणव शाह एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर-जाफरपुर मार्ग बाया आनन्दखेड़ा होते हुए एन0एच0-74 (महेशपुर) तक के मार्ग के पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री विनय कुमार एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

...2/...

9. श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोगांव के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री गणेश राम एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी भण्डारस्यूं में भागीरथी नदी (नालूपाणी) से दनांऊ तक लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री वृजमोहन अवस्थी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी भण्डारस्यूं के कल्याणी ग्राम में हाईस्कूल खोलने के सम्बन्ध में" श्री रविन्द्र लाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

13. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

14. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

15. संसदीय कार्य मंत्री निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

16. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"**घ**")

17. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

18. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय। (पन्द्रह मिनट)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
2. श्री गोविन्द लाल,
3. श्रीमती आशा नौटियाल,
4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
5. श्री कैलाश शर्मा,
6. श्री मालचन्द,
7. श्री मदन कौशिक,
8. श्री हरबंस कपूर,
9. श्री अरविन्द पाण्डे,
10. श्री अजय भट्ट,
11. श्री हरभजन सिंह चीमा,
12. श्री बिशन सिंह चुफाल,
13. श्री प्रकाश पन्त।

संशोधन का रूप

"उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

19. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

20. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय। (पन्द्रह मिनट)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
2. श्री गोविन्द लाल,
3. श्रीमती आशा नौटियाल,
4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
5. श्री कैलाश शर्मा,
6. श्री मालचन्द,
7. श्री मदन कौशिक,
8. श्री हरबंस कपूर,
9. श्री अरविन्द पाण्डे,
10. श्री अजय भट्ट,
11. श्री हरभजन सिंह चीमा,
12. श्री बिशन सिंह चुफाल,
13. श्री प्रकाश पन्त।

संशोधन का रूप

"उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

...4/...

21. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

22. वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

1- संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 68583 हजार (छः करोड़ पचासी लाख तिरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(विवाद नहीं होगा)

2- संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 171023 हजार (सत्रह करोड़ दस लाख तेईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(विवाद नहीं होगा)

3- संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 117039 हजार (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ङ)**)

4- लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 5151475 हजार (पांच सौ पन्द्रह करोड़ चौदह लाख पचहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(च)**)

5- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 454598 हजार (पैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख अठ्ठानवें हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(विवाद नहीं होगा)

6- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 38129 हजार (तीन करोड़ इक्यासी लाख उन्नतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(छ)**)

7- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 9791739 हजार (नौ सौ उनासी करोड़ सत्रह लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ज)**)

8- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3047213 हजार (तीन सौ चार करोड़ बहत्तर लाख तेरह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(झ)**)

9- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 5097684 हजार (पांच सौ नौ करोड़ छिहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ञ)**)

23. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

24. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

25. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

26. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

...6/...

27. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

28. जन-गण-मन। (देखिए नत्थी (ट))

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 12 अप्रैल, 2005

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र, 2005
का तृतीय मंगलवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 22 चैत्र, शक संवत्, 1927
(दिनांक : 12 अप्रैल, 2005)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय
19-03-2005

**1. क्या मुख्यमंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण प्रदान करने की नीति पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

कार्मिक

नत्थी ''ख''

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित प्रश्न

श्री हरबंस कपूर
04-03-2005

*1. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कौलागढ़ क्षेत्र देहरादून में टाटा टेलीकॉम द्वारा टेलीकाम टावर तथा उक्त टावर के संचालन हेतु जेनरेटर सेट लगाया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी टेलाकॉम टावर एवं जेनरेटर सैट से उत्पन्न समस्याओं से अवगत हैं? यदि हाँ, तो इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि टेलीकॉम टावर एवं जेनरेटर सेट के संचालन हेतु पूर्व में बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 यू.ई.पी.पी.सी.बी./एच.ओ./एन.ओ.सी.-219/05/3601, दि0 24.03.05 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यदि हाँ, तो जेनरेटर सेट का संचालन बन्द न कराये जाने के क्या कारण हैं? — वन

नत्थी "ग"

तारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक
10-03-2005

*1. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त**

श्री हरबंस कपूर
18-03-2005

*2. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन्य प्राणियों के आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाने से होने वाले जान माल के नुकसान से क्षेत्रवासियों को बचाने के लिए कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती विजय बड़थ्वाल
10-03-2005

1. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की माण्डलू ग्वील, रिंगालपाणी मोटर मार्ग, देवीखत जामल, अमाल्डू, मोटर मार्ग तथा जाखणीखाल व्यासघाट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लगभग दस वर्षों से लम्बित है? यदि हाँ, तो क्या उक्त मोटर मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण

श्री किशोर उपाध्याय
11-03-2005

2. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि टिहरी जनपद के विकासखण्ड जाखणीधार के अन्तर्गत कोटी-गराकोट सड़क का निर्माण न होने के कारण स्थानीय निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री किशोर उपाध्याय
11-03-2005

3. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि 1970-71 में जनपद टिहरी गढ़वाल के कोशियार-अखोड़ीसैण मार्ग से प्रभावित कृषकों को अभी तक मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि 34 वर्षों के उपरान्त भी मुआवजा न देने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

वन

श्री हरबंस कपूर 11-03-2005	**4.** क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दीपलोक कालोनी, मित्रलोक कालोनी, महेन्द्र विहार, शान्ति विहार आदि क्षेत्रों में गुजरने वाली छोटी बिन्दाल नदी में स्थान-स्थान पर क्षेत्रवासियों द्वारा अपने मकानों के सीवर कनेक्शन नदी में खोल दिए है? जिसके फलस्वरूप वातावरण प्रभावित एवं भारी गन्दगी से क्षेत्र के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी इस क्षेत्र में नदी के किनारे-किनारे सीवर लाइन डलवायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**चतुर्थ सोमवार के अतारां0 05 में स्था0**
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 11-03-2005	**5.** क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के ग्राम पंचायत गंडासू में मोलागाड़ तोक में झूला पूल निर्माण की मांग जनता द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो उक्त संदर्भ में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**
श्री हरबंस कपूर 17-03-2005	**6.** क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी विकास विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को रिक्त अवर अभियन्ताओं के चयन हेतु कोई अधिनियम भेजा गया था? यदि हाँ, तो कितने पदों हेतु? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अवर अभियन्ताओं का समायोजन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक समायोजन हो जायेगा?	**नगर विकास**
श्री हरबंस कपूर 17-03-2005	**7.** क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं के कितने पद सृजित है तथा सृजित पदों के अन्तर्गत कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कार्यरत अवर अभियन्ताओं में कितने स्थायी और कितने अस्थाई है? क्या मंत्री जी रिक्त स्थानों को भरने हेतु उचित कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 17-03-2005	**8.** क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-1548/लो.नि.वि./03-04, दि0 26.6.2003 सचिव, लोक निर्माण उत्तरांचल शासन को प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो क्या पत्र के अनुसार शासनादेश संख्या 8448/लो.नि.वि./2002/02-95 प्रा.अ./02 दि0 19-12-2002 में क्रमशः जनपद उत्तरकाशी के चामी सिंगुणी नौगांव गोडर मोटर मार्ग विस्तार कार्य 05 कि.मी. व नौगांव स्योरी मोटर मार्ग विस्तारीकरण कार्य 02 कि.मी. कराये जाने के लिए संशोधन अपेक्षित था? यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार संशोधन कर दोना मोटर मार्गो का विस्तार कार्य करवा लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**

श्री किशोर उपाध्याय
18-03-2005

9. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त**

श्री अजय भट्ट
21-03-2005

10. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा-बग्वालीपोखर मोटर मार्ग वाया छबीसा स्वीकृत हो चुका है? यदि हाँ, तो कब तथा आज तक उक्त मोटर मार्ग पर कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं? **लोक निर्माण**

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
21-03-2005

11. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त**

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
14-03-2005

12. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पर वी.एम.एस.डी.सी. के माध्यम से हार्टमिक्स प्लान्ट से सड़क का डामरीकरण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **लोक निर्माण**

श्री प्रेमानन्द महाजन
15-03-2005

13. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2002-03 व 2003-04 में कितने ईंट भट्टों द्वारा प्रदूषण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये? क्या सरकार ईंट भट्टों की चिमनी द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को समाप्त किये जाने हेतु कोई उपाय कर रहीं है? यदि नहीं, तो क्यों? **पर्यावरण**

श्री बिशन सिंह चुँफाल
16-03-2005

14. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव-चौबाटी मोटर मार्ग का किलोमीटर 2 में वर्ष 2003 में हीं डामरीकरण किया गया है, जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्य की जांच करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **लोक निर्माण**

श्री बिशन सिंह चुँफाल
17-03-2005

15. विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 के प्रथम मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि पिथौरागढ़ के नाचनी भैसंकोट की अवरूद्ध सड़क को खोले जाने हेतु धन की स्वीकृति दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **लोक निर्माण**

श्री बिशन सिंह चुँफाल 17-03-2005	**16.** विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि पिथौरागढ़ जनपद में बांकू-पुल से बांकू तक बन्द दो कि.मी. बन्द सड़क को पूर्णतया खोले जाने हेतु धन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**
श्री बिशन सिंह चुफाल 21-03-2005	**17.** क्या नगर विकास मंत्री भिज्ञ हैं कि जिला नगरीय विकास अभिकरण, हरिद्वार के पूर्व परियोजना अधिकारी के विरूद्ध गंभीर शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है? क्या जिलाधिकारी, हरिद्वार ने भी उक्त शिकायतों को सही पाते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजी है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**
श्री बिशन सिंह चुफाल 21-03-2005	**18.** क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में 31 मार्च, 2002 से पूर्व स्वीकृत सड़के जिनमें कि कार्य प्रारम्भ भी नहीं किया गया को निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किन कारणों से?	**लोक निर्माण**

नत्थी (घ)

<u>कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 अप्रैल, 2005 की बैठक में दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-</u>

<u>अप्रैल, 2005</u>

12 मंगलवार

1. उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 का विचार एवं पारण (पन्द्रह मिनट)।

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 का विचार एवं पारण (पन्द्रह मिनट)।

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।)

नत्थी (ङ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 14-सूचना विभाग
लेखा शीर्षक-(2220-सूचना तथा प्रचार)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री भगत सिंह कोश्यारी,
3. श्री हरबंस कपूर,
4. श्री प्रकाश पन्त,
5. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
6. श्री अजय भट्ट,
7. श्री अनिल नौटियाल,
8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
9. श्री मदन कौशिक,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती आशा नौटियाल,
12. श्री बिशन सिंह चुफाल,
13. श्री मालचन्द,
14. श्री हरभजन सिंह चीमा,
15. काजी निजामुद्दीन।

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 22-लोक निर्माण विभाग
लेखा शीर्षक-(2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 6216-आवास के लिए कर्जी)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री भगत सिंह कोश्यारी, 3. श्री हरबंस कपूर, 4. श्री प्रकाश पन्त, 5. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 6. श्री अजय भट्ट, 7. श्री अनिल नौटियाल, 8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 9. श्री मदन कौशिक, 10.श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 11.श्रीमती आशा नौटियाल, 12.श्री बिशन सिंह चुफाल, 13.श्री मालचन्द, 14.श्री हरभजन सिंह चीमा, 15.श्री काशी सिंह ऐरी, 16.श्री पुष्पेश त्रिपाठी, 17.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 18.श्री प्रीतम सिंह पंवार, 19.काजी निजामुद्दीन।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 05-निर्वाचन विभाग
लेखा शीर्षक-(2015-निर्वाचन)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री मदन कौशिक,
2. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
3. श्रीमती आशा नौटियाल,
4. श्री बिशन सिंह चुफाल,
5. श्री मालचन्द,
6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
8. श्री अनिल नौटियाल,
9. श्री प्रकाश पन्त,
10. श्री हरभजन सिंह चीमा,
11. श्री अजय भट्ट,
12. श्री भगत सिंह कोश्यारी,
13. काजी निजामुद्दीन।

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग

लेखा शीर्षक-(2030-स्टाम्प पंजीकरण, 2040-बिक्री कर, व्यापार आदि पर कर, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047-अन्य राजकोषीय सेवायें, 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049-ब्याज अदायगियाँ, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3453-विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4049-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम, 6075-विविध सामान्य सेवायें हेतु कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज, 7615-विविध उधार पर)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री भगत सिंह कोश्यारी,
3. श्री हरबंस कपूर,
4. श्री प्रकाश पन्त,
5. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
6. श्री अजय भट्ट,
7. श्री अनिल नौटियाल,
8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
9. श्री मदन कौशिक,
10. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
11. श्रीमती आशा नौटियाल,
12. श्री बिशन सिंह चुफाल,
13. श्री मालचन्द,
14. श्री हरभजन सिंह चीमा,
15. काजी निजामुद्दीन।

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (झ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 10-पुलिस एवं जेल विभाग
लेखा शीर्षक-(2055-पुलिस, 2056-जेलें, 4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री भगत सिंह कोश्यारी, 3. श्री हरबंस कपूर, 4. श्री प्रकाश पन्त, 5. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 6. श्री अजय भट्ट, 7. श्री अनिल नौटियाल, 8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 9. श्री मदन कौशिक, 10.श्री बिशन सिंह चुफाल, 11.श्री मालचन्द, 12.श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 13.श्री हरभजन सिंह चीमा, 14.काजी निजामुद्दीन।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ञ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 21-ऊर्जा विभाग
लेखा शीर्षक-(2801-बिजली, 2810-वैकल्पिक ऊर्जा, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री भगत सिंह कोश्यारी,
3. श्री हरबंस कपूर,
4. श्री प्रकाश पन्त,
5. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
6. श्री अजय भट्ट,
7. श्री अनिल नौटियाल,
8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
9. श्री मदन कौशिक,

10.श्री मालचन्द,

10.श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट

11.श्री बिशन सिंह चुफाल,

12.श्री हरभजन सिंह चीमा,

13.श्री काशी सिंह ऐरी,

14.श्री पुष्पेश त्रिपाठी,

15.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल,

16.श्री प्रीतम सिंह पंवार,

17.काजी निजामुद्दीन।

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ट)

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।

पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।